दिनांक 19.01.24 को दून पुलिस ने किया मोबाईल टावरो की बैटरियाँ चुराने की घटना को अजांम देने वाला वाछिंत/फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार।

दिनांक: 06-01-24 को वादी जय प्रकाश पुत्र नन्नुकीराम निवासी ग्राम पोस्ट परवेजनगर बदाँयू उत्तर प्रदेश हाल पता ग्राम गुमानीवाला मनसा देवी ऋषिकेश द्वारा थाना रायवाला पर दिनांक 01.01.2024 को ए0टी0सी0 कम्पनी के मोबाईल टावर खण्ड न0-01 से उसकी बैटरीया अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर थाना रायवाला पर तत्काल मु0अ0स0 02/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में कार्यवाही करते हुए घटना को कारित करने वाले एक अभियुक्त दीपक चन्द्र हटवाल को रायवाला पर गठित पुलिस टीम द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, बयानो एवं साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 379 का लोप कर धारा 457/380/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। उक्त घटना में गिरफ्तार अभियुक्त का एक और साथी सम्मिलित था, जो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए लगातार सुरागरसी पतारसी एवं मैनुअल पुलिसिंग द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे। पुलिस द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप मुखबिर की सूचना पर लगातार फरार चल रहे अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल पुत्र शिवप्रसाद थपलियाल नि0 नन्दवान गांव पट्टी सिलगढ ब्लाँक जखोली रूद्रप्रयाग को रायवाला क्षेत्रान्तर्गत मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे पुराने रेलवे फाटक के पास से चोरी के अन्य माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल पुत्र शिवप्रसाद थपलियाल नि0 नन्दवान गांव पट्टी सिलगढ ब्लाँक जखोली रूद्रप्रयाग

बरामदगी का विवरण:-

(1) बैटरी के प्लास्टिक के काले रंग के ढक्कन: 37

(2) बोल्ट व वारसल लोहे के : 44

(3) चोरी के औजार प्लास व पेचकस

पुलिस टीम:- (1)- अपर उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, (2)- हे0कानि0 336 शहवान अली, (3)- कानि0 1392 अर्जुन